

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

— संकल्प —

पटना—15, दिनांक— २१.३.२४

विषय :— कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प झापांक—11894 दिनांक 12.11.2008 द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं (कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन) नियमावली, 2007 के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के कार्यों के संबंध में कार्य निष्पादन मूल्यांकन अभिलेखन हेतु निर्धारित प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकारों का भा.प्र.से. के उप विकास आयुक्तों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों के संदर्भ में संशोधन।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प झापांक—6/सी.आर.—33/2008—का—11894 दिनांक 12.11.2008 द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं (कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन) नियमावली, 2007 के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी स्तर के सदस्यों के कार्यों के संबंध में कार्य निष्पादन मूल्यांकन अभिलेखन हेतु प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकार निर्धारित हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के उप विकास आयुक्तों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों के संदर्भ में आलोच्य निर्धारण निम्नवत् है—

प्रतिवेदित पदाधिकारी का पदनाम	प्रतिवेदक प्राधिकार	समीक्षी प्राधिकार	स्वीकरण प्राधिकार
उप विकास आयुक्त	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	मुख्यमंत्री
अनुमंडल पदाधिकारी	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी	प्रमंडलीय आयुक्त	मुख्य सचिव

2. उप विकास आयुक्तों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों के पदों पर पदस्थापित भा.प्र.से. के सदस्यों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन अभिलेखन हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के संकल्प झापांक—6/सी.आर.—33/2008—का—11894 दिनांक 12.11.2008 द्वारा निर्धारित प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकारों की व्यवस्था को राज्य सरकार ने निम्नवत् संशोधित करने का निर्णय लिया है—

प्रतिवेदित पदाधिकारी का पदनाम	प्रतिवेदक प्राधिकार	समीक्षी प्राधिकार	स्वीकरण प्राधिकार
उप विकास आयुक्त	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी	प्रमंडलीय आयुक्त	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
अनुमंडल पदाधिकारी	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी	प्रमंडलीय आयुक्त	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

3. इस संकल्प के निर्गमन के पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के उप विकास आयुक्तों एवं अनुमंडल पदाधिकारियों के पूर्व की व्यवस्था के अनुरूप अभिलेखित कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन अपरिवर्तित रहेंगे।

आदेश :— यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Rajendra
21.3.2024
(डॉ. बी. राजेन्द्र)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-6/सी.आर.-09/2024—सा.प्र.— 5071 /पटना—15, दिनांक— 21.3.24

प्रतिलिपि :— संस्थापन पदाधिकारी—सह— अपर सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली—110001/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि निर्गत संकल्प से सभी भा.प्र.से. पदाधिकारियों को अवगत कराया जाय।

Rajendra
21.3.2024

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-6/सी.आर.-09/2024—सा.प्र.— 5071 /पटना—15, दिनांक— 21.3.24

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग को वित्त विभाग को सी.डी. के साथ उपलब्ध कराने हेतु)।

Rajendra
21.3.2024

सरकार के प्रधान सचिव